

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सत्र 2011-12 से प्रभावी

निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय/अनापत्ति

प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु

दिशा निर्देश

परिचय

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। महाविद्यालयी शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से भी राजस्थान ने उत्तरोत्तर आगे कदम बढ़ाये हैं। राजस्थान में इस समय 126 राजकीय महाविद्यालय, 72 अनुदानित महाविद्यालय, 9 स्ववित्त पोषी महाविद्यालय और 1150 गैर अनुदानित निजी महाविद्यालय संचालित हैं। सत्र 2001-02 से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने हेतु निर्धारित मानदण्डों का उदारीकरण किया है। जिसके अन्तर्गत सत्र 2001-02 में 35, सत्र 2002-03 में 40, सत्र 2003-04 में 171, सत्र 2004-05 में 228, सत्र 2005-06 में 115 सत्र 2006-07 में 161, सत्र 2007-08 में 112, सत्र 2008-09 में 95, सत्र 2009-10 में 123 तथा सत्र 2010-11 में 276 नवीन निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं, जो उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का ठोस प्रमाण है।

इसी क्रम में भविष्य में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने, अनापत्ति प्रमाण-पत्र में वृद्धि करने तथा स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कराने हेतु आवेदन-पत्र एक स्थायी कार्यक्रम के अन्तर्गत आमंत्रित किये जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो भावी पीढ़ियों के निर्माण एवं देश के विकास की दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका रखता है। अतः उच्च शिक्षा में निजी निवेश की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी में इच्छुक सुदृढ वित्तीय स्थिति वाली पंजीकृत संस्थाओं का आह्वान एवं स्वागत है।

(के.आर. सिलोलिया)
आयुक्त,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | आयुक्त | फोन – 2706847 |
| 2. | संयुक्त निदेशक (अनुदान) | फोन – 2706736 |
| 3. | संयुक्त निदेशक (प्रशासन) | फोन – 2705471 |
| 4. | संयुक्त निदेशक (कार्मिक) | फोन – 2700629 |
| 5. | संयुक्त निदेशक (योजना एवं समन्वय) | फोन – 2706289 |
| 6. | संयुक्त निदेशक (अकादमिक) | फोन – 2706550 |
| 7. | मुख्य लेखाधिकारी | फोन– 2703897 |

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु गत वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी दिशा में प्रदेश के सभी भागों में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार, महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदन करने की प्रक्रिया में भी आंशिक परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन सत्र 2011-12 से संचालित किये जाने वाले नवीन महाविद्यालयों हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र, पूर्व में संचालित महाविद्यालयों हेतु अस्थायी प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि व इन महाविद्यालयों को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर लागू होंगे।

नोट :- आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 (आगे 'उक्त नियमों' के रूप में उल्लेखित) के साथ निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।

(1) नवीन निजी महाविद्यालयों को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

- 1.1 **पिछड़े व आरक्षित क्षेत्रों में-** परिशिष्ट-III व परिशिष्ट-IV में अंकित क्षेत्रों में कहीं भी महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति द्वारा आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर स्वयं के/किराये के भूमि-भवन की तीन साल की रजिस्टर्ड लीज डीड (भवन व भूमि एक साथ) होने पर महाविद्यालय संचालन हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जावेगा।
- 1.2 **सामान्य क्षेत्रों में-** परिशिष्ट-III व परिशिष्ट-IV में उल्लेखित क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होंगे, जिनमें महाविद्यालय संचालन के लिये आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर स्वयं/किराये के भूमि व भवन की अधिकतम तीन वर्ष की रजिस्टर्ड लीजडीड प्रस्तुत किये जाने पर तीन वर्ष के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जावेगा।
- 1.3 संस्था यह ध्यान रखे कि केवल राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा बार कौंसिल आफ इण्डिया (विधि महाविद्यालय हेतु) से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 1.4 तीन वर्षीय अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् संस्था को तीसरे सत्र के दौरान आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के परीक्षण एवं निरीक्षणोपरांत संस्था को मानदण्ड पूरे करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। मानदण्डों के अभाव में संस्था को अधिकतम दो सत्रों के लिये ही अस्थायी प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि की जा सकेगी। यदि महाविद्यालय द्वारा पाँच शैक्षणिक सत्रों तक स्थायी अनापत्ति के लिये निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती है तो महाविद्यालय का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
- 1.5 तीन वर्ष पश्चात् महाविद्यालय स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने आयुक्त कालेज शिक्षा द्वारा निरीक्षण करवाने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु बिन्दु 8 में उल्लेखित मापदण्डों को पूर्ण कर लिया हो। इस हेतु वांछित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने पर अधिकतम दो वर्ष तक अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा पाँच वर्षों तक मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने पर अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात संस्था प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश नहीं दे सकेगी व केवल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिये ही महाविद्यालय का संचालन किया जा सकेगा।

- 1.6 स्थायी अनापति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोनयन हेतु पात्र होगी। परन्तु स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु पृथक से विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संस्था अपने स्तर पर अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना होगा। इसी प्रकार जिन महाविद्यालयों को स्थाई अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है वे स्नातक स्तर पर यदि नवीन विषय खोलना चाहें तो उसके लिए भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अपने स्तर पर सम्बद्धता प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना होगा।
- 1.7 उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थायें जिन्होंने राज्य सरकार से अस्थाई/स्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हों उन्हें स्नातक स्तर पर सामान्य शिक्षा हेतु अतिरिक्त विषय/संकाय के लिए इसी विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। संस्था को आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना अनिवार्य होगा।
- 1.8 नवीन निजी सहशिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिये वित्तीय सुदृढ़ता हेतु पांच वर्ष के लिये मियादी जमा (एफ.डी.आर.) राशि क्रमशः रूपये 10.00 व 4.00 लाख होगी। लेकिन परिशिष्ट-III व परिशिष्ट-IV में उल्लेखित क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली संस्था के लिये इस राशि में 50 प्रतिशत की छूट होगी।
- 1.9 महाविद्यालयों में "उक्त नियमों" के नियम 23 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति में कुल सदस्यों की संख्या का 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा।
- 1.10 अनापति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात महिला महाविद्यालय का सहशिक्षा में परिवर्तन स्वीकार तभी किया जावेगा जब महाविद्यालय सहशिक्षा के मापदण्ड (भूमि, भवन व एफडीआर) पूरे करती हो। स्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त महिला महाविद्यालय यदि सह शिक्षा में परिवर्तित होना चाहें तो उनके लिए भी सह शिक्षा महाविद्यालयों के मापदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे। इस हेतु विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 1.11 अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था को बाद के प्रत्येक निरीक्षण पर निरीक्षण दल के व्यय हेतु संस्था को रू0 10,000/- की राशि का डी.डी. निरीक्षण व्यय के रूप में **आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर** के नाम से जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- 1.12 नवीन महाविद्यालय के आवेदन अपूर्ण होने पर व मानदण्डानुसार दस्तावेज प्रतियाँ संलग्न नहीं होने पर अथवा निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर संस्था के आवेदन पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा। संस्था को यदि आवेदित सत्र में अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता तो संस्था का आवेदन उस सत्र के लिये निरस्त माना जायेगा तथा आवेदन शुल्क को लौटाया जाना संभव नहीं होगा। संस्था को नवीन सत्र के लिये पुनः आवेदन करना होगा।
- 1.13 संस्था यह ध्यान रखे कि एक परिसर भवन में अधिकतम दो संस्थायें चलाई जा सकती हैं परन्तु दोनों का समय अलग-अलग होना चाहिए।

(2) निजी महाविद्यालयों में नये संकाय/नये विषय खोलने की स्वीकृति हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी मानदण्ड -

- 2.1 **भूमि-भवन सम्बन्धी पात्रता:**— निर्धारित मानदण्डानुसार कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, विभागीय कक्ष एवं विभागीय पुस्तकालय की व्यवस्था कर ली गयी हों। इस हेतु आवेदक महाविद्यालय को तदनुसार भूमि-भवन सम्बन्धी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- 2.2 **शैक्षणिक स्टाफ सम्बन्धी पात्रता:**— महाविद्यालय में सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त हो। इस हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- 2.3 **विषय/संकाय शुल्क**— अनिवार्य विषय (सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग) शुल्क से मुक्त होंगे। अन्य विषय/संकाय हेतु निम्नानुसार (सारणी-1) शुल्क होगा। यह शुल्क आवेदन/निरीक्षण शुल्क के अतिरिक्त होगा।
- 2.4 नवीन/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के साथ स्नातकोत्तर स्तर का कोई नवीन डिग्री, डिप्लोमा कोर्स स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

सारणी-1

क्र सं.	संकाय/ विषय	राशि रूपयों में
1	बी.ए. कोई दो समूह अथवा कुल छः विषय	2000
2	बी.ए. में उपरोक्त छः विषयों के अतिरिक्त तीन विषयों या दो अतिरिक्त समूहों अर्थात् कुल 12 विषयों तक	2000
3	बी.ए. में चार समूहों या 12 विषयों से अधिक	2000
4	बी.कॉम. तीन सामान्य विषय	2000
5	बी.कॉम. तीन सामान्य विषयों के अतिरिक्त विषयों पर	2000
6	बी.एस.सी. बायोलॉजी	2000
7	बी.एस.सी. गणित	2000
8	बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एस.सी.आईटी या अन्य कोई संकाय प्रत्येक पर	2000
9	एलएलबी. तीन वर्षीय	2000
10	एलएलबी. पाँच वर्षीय	2000
11	स्नातक स्तर के डिप्लोमा या अन्य (एक और दो वर्षीय कोर्स)	2000

- 2.5 **निरीक्षण:**— निरीक्षणोपरान्त भूमि-भवन, स्टॉफ सम्बन्धी मानदण्डों की संतोषजनक पूर्ति पाये जाने पर ही राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

(3) महत्वपूर्ण तिथियाँ—

सत्र 2011-12 तथा पश्चातवर्ती सत्रों के लिए निजी महाविद्यालयों के अस्थायी/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ निम्न प्रकार रहेंगी—

चरण	आवेदन प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि	विलम्ब शुल्क
-----	-----------------------------------	--------------

प्रथम चरण	31 अगस्त तक	शून्य
द्वितीय चरण	30 सितम्बर तक	रु. 10,000/-

नोट— महाविद्यालय को समय पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तिथियों के अनुसार सम्बद्धता हेतु आवेदन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी शुल्क जमा कराने होंगे।

(4) आवेदन शुल्क –

- 4.1 **नवीन (सामान्य व विधि) महाविद्यालयों के लिये**— निर्धारित आवेदन प्रपत्र आवेदन शुल्क सहित कालेज शिक्षा आयुक्तालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन शुल्क निम्न प्रकार से है:—
- | | |
|---|------------|
| (क) सहशिक्षा महाविद्यालय के लिये | 50,000 रु. |
| (ख) महिला महाविद्यालय के लिये | 20,000 रु. |
| (ग) पिछड़े क्षेत्रों (परिशिष्ट-III में वर्णित महाविद्यालयों) के लिये | 10,000 रु. |
| (घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में परिशिष्ट-IV वर्णित महाविद्यालय के लिये | 10,000 रु. |
| (ङ) अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि (पूर्व में संचालित) | 7,500 रु. |
- 4.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण शुल्क पृथक से रूपये 10,000/- होंगे। आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डी.डी. द्वारा आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के नाम बनवाकर जो कि जयपुर में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(5) एफडीआर राशि का पुर्नभुगतान

- 5.1 महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था अपरिहार्य कारणों से नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
- 5.2 अगर संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को एनओसी जारी नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी।
- 5.3 अगर संस्था को एनओसी जारी हो गई हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्डों की समय पर पूर्ति नहीं करने पर (5 वर्ष तक) व संस्था के स्वयं के महाविद्यालय संचालन बंद करने पर या असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी।
- 5.4 यदि संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया या संस्था बीच सत्र में ही महाविद्यालय का संचालन बन्द कर रही हो तो संस्था को अगले दो सत्रों तक महाविद्यालय का संचालन करना होगा ताकि द्वितीय एवं तृतीय पार्ट के विद्यार्थियों का अध्ययन पूरा हो सके अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था अन्य स्थानीय महाविद्यालय में कर प्रमाण सहित विभाग को सूचित करना होगा।

5.5 उक्त बिंदु 5.2 से 5.4 तक के लिए संस्था को एफडीआर नगदीकरण हेतु आवेदन व एफडीआर की मूल प्रति के साथ 10/-रु. के गैर न्यायिक शपथ पत्र निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा :-

- (क) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है,
- (ख) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नहीं है,
- (ग) महाविद्यालय/ संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नहीं किया हो,
- (घ) महाविद्यालय/ संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नहीं किया हो।

(6) नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रमुख दिशा निर्देश -

- 6.1 आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।
- 6.2 समिति /संस्था/ट्रस्ट के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 6.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी-

- (क) प्रबन्ध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।
- (ख) प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो-तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे,
- (ग) कुल सदस्यता के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे।

स्पष्टीकरण- संस्था को एक समय में 10000/- रुपये या इससे अधिक या बारह महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिए कम से कम 1000/- रुपये दान देने वाला कोई व्यक्ति दानदाता समझा जायेगा।

- (घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगा,
- (ङ) कम से कम एक सदस्य प्रबंध द्वारा चलायी जा रही संस्था या संस्थाओं के विद्यार्थियों के माता-पिता में से सहयोजित किया जायेगा,
- (च) संस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा,
- (छ) प्रबंध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात निर्वाचन करवायेगा और नये प्रबंध समिति का गठन करेगा,

6.4 प्रबन्ध समिति चुनावों के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:-

- (क) एक निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्देशित किया जायेगा,

- (ख) निर्वाचन अधिकारी चुनाव के लिए नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचकगण के समस्त सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस जारी करेगा,
- (ग) निर्वाचन के नोटिस में निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा,
- (घ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों, जो चुनाव में खड़े हुए हैं व उनके पक्ष में पड़े मतों की संख्या सहित सम्पूर्ण निर्वाचन के अभिलेख रखेगा,
- (ङ) निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और गुप्त मतपत्र के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी ।
- (च) निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहयोजन निर्वाचन के एक महीने के भीतर किया जायेगा,
- (छ) निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् प्रबंध समिति विभागीय प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी ।

6.5 प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् प्रबंध समिति के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य अपना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। संस्था का कर्मचारी न तो सचिव होगा और न ही कोषाध्यक्ष। समिति यह ध्यान रखे कि प्रत्येक प्रबन्ध समिति का पंजीयन, पंजीयक सहकारी समितियों के यहाँ कराकर दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

6.6 स्थायी जमा (एफडीआर)–

नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व समिति/संस्था को वित्तीय सुदृढता हेतु निम्न प्रकार से राशि पाँच वर्ष के लिये मियादी जमा (एफडीआर) के रूप में महाविद्यालय के नाम एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में जमा करानी होगी–

सहशिक्षा महाविद्यालय	रु. 10.00 लाख
महिला महाविद्यालय	रु. 4.00 लाख

नोट– उपरोक्त सावधि जमा राशि में निम्नानुसार छूट रहेगी–

1. पिछड़े क्षेत्र परिशिष्ट–III में उल्लेखित महाविद्यालय हेतु राशि का 50 प्रतिशत
2. आरक्षित विधानसभा क्षेत्र परिशिष्ट–IV में स्थित महाविद्यालय हेतु निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत

6.7 आवेदन प्रपत्र का प्रारूप आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

6.8 आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर अथवा आवेदन शुल्क जमा न होने पर अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6.9 विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे । अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जावें।

(7) सत्र 2010–11 तक अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र की अभिवृद्धि के आवेदन हेतु दिशानिर्देश–

7.1 पाँच या इससे अधिक सत्रों से संचालित महाविद्यालयों को आगामी सत्र के भीतर स्थायी अनापति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त

करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

- 7.2 पाँच सत्र से कम वाले ऐसे महाविद्यालयों को आगामी दो सत्र के भीतर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूरे कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
- 7.3 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रुपये 7,500/- का डी डी, आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर के नाम संलग्न कर निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा।
- 7.4 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था जिन विषयों एवं संकायों का संचालन कर रही है या जिन विषयों/संकायों का विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर रखी हो, उन्हें छोड़कर अतिरिक्त /नवीन विषय/संकाय हेतु संस्था को उपरोक्त सारणी-1 के अनुसार अतिरिक्त शुल्क आवेदन के साथ देना होगा।

(8) निजी संस्थाओं को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु नियम व दिशा-निर्देश –

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शैक्षिक संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पात्र होगी, यदि वह निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है:-

- 8.1 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूर कर दिये जाने के पश्चात् स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने वाली संस्था ने विभागीय विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद रूप से कार्य किया हो।
- 8.2 प्रबन्ध ने इन नियमों के उपबन्धों और राज्य सरकार/आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशों/ निर्देशों या अनुदेशों का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय-समय पर मांगी गई सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो।
- 8.3 स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्ही संस्थाओं को प्रदान किया जावेगा
- (क) जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो।
- (ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो।
- (ग) छात्र-छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो।
- (घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो।
- (ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई हो।

(9) गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने हेतु नियम –

- 9.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध को अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर

देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकेगा :-

- (क) यदि किसी संस्था का प्रबन्ध कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट-II में विहित किन्हीं भी निबन्धों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।
- (ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।
- (ग) यदि प्रबन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
- (घ) यदि संस्था का प्रबन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।
- (ङ) यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि को बढ़ाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- (च) यदि संस्था विभागीय निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रही हो।

9.2 यह समाधान हो जाने पर कि संस्था उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी संस्था को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा। तत्पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संस्था ने विनिर्दिष्ट कालावधि में संतोषप्रद सुधार किया है तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा।

9.3 सामान्यतः किसी शैक्षिक संस्था को एक बार दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगी। किन्तु कपट, दुर्व्यपदेशन या ऐसे तात्विक तथ्यों के छिपाने के मामलों में जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई थी ऐसे मामलों में जहाँ संस्था शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की समय पर अनुपालना में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी प्रबंध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र के बीच में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकेगा।

9.4 किसी भी संस्था को भूतलक्षी प्रभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण -

- (1) ऐसे मामलों में, जहाँ पूर्व में दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले ली गई हो किन्तु पुनः प्रदत्त कर दी गई हो, ऐसी संस्था को नवीन संस्था कहा जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा किसी नये स्थान पर शाखा खोलने के मामले में संस्था की ऐसी शाखा को नवीन संस्था कहा जायेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये उसका आवेदन तदनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

10. आवेदन पत्र

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र —————

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप

10.1 भाग – 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति ।
2. पंजीयक से पंजीकृत 15-21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति जिसमें 30 प्रतिशत महिलाये हो, के सदस्यों की सूची ।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/ विषय/ संकाय प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति । (सिलेबस प्रति संलग्न नहीं करे)
4. भवन का पी डब्लू डी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित मानचित्र (प्रस्तावित एवं वर्तमान भवन मानचित्र) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर की छाया चित्र ।
5. नवीन महाविद्यालय यदि किराये के भवन में प्रस्तावित है तो 5 वर्ष की संस्था के नाम पंजीयक/उपपंजीयक से पंजीकृत लीजडीड ।
6. नवीनतम (सत्रानुसार) भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता ।
7. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र ।
8. प्रस्तावित महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए नवीनतम एफ.डी.आर. की प्रति ।
9. जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, यदि वह क्षेत्र आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में स्थित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एडीएम)/ (एसडीएम) द्वारा ।
10. संस्था को तीन वर्ष के भीतर मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर भवन का निर्माण करना होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र ।

नोट :- सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें ।

10.2 भाग – 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| I प्रस्तावित महाविद्यालय का प्रकार | सामान्य (स्नातक)/ | विधि |
| II प्रस्तावित महाविद्यालय की श्रेणी | सहशिक्षा / | महिला |
| III क्या प्रस्तावित महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है— | हां / | नहीं |
| IV क्या प्रस्तावित महाविद्यालय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत आता है ?(अगर हां तो प्रमाण प्रस्तुत करें) | हां / | नहीं |
| V आवेदन शुल्क राशि रू0.....डी.डी. क्रमांक | दि0 | बैंक..... |
| (डी.डी. के पीछे समिति/महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें) | | |
| VI एफ.डी.आर. राशि रू0 | क्रमांक | दि0 |
| | | बैंक..... |

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम एवं
पूर्ण पता
.....पिन कोड
- दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड
- फैक्स नं.
- मोबाइल
- ई-मेल पता
2. प्राचार्य का नाम व पता
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
-
4. आवेदक समिति/ट्रस्ट का नाम व पता मय
- पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
5. पंजीकृत विधान की प्रति
6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति.....
के सदस्यों के नाम,पते, टेलीफोन नम्बर, व्यवसाय
7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि
8. प्रस्तावित महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं
औचित्य का आधार

10.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि—

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क़य 3. दान से

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति/ट्रस्ट
3. पदाधिकारी 4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)

(ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :- कक्षों की संख्या व आकार लिखें :-

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें					
कमरा नं.					

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

10.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

1. सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम

2. आवेदित संकाय

3. आवेदित विषय

4. चाहे गये विषय—संकाय सम्बद्धक विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने बावत प्रस्ताव की प्रति

10.5 भाग – 'य'

घोषणा पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....

अध्यक्ष/सचिव.....एतद्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
- 9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

COLLEGE INFORMATION SHEET

(It is mandatory for all colleges to fill this information. Strike out or leave blank columns that are not applicable to your college. Colleges may get the format retyped in same order and sequence for submitting the information)

- 1. Name of the College
- 2. College type (a) General/Law(b)(girls/Co-Ed)
- 3. Yr. of Estt. Type of area(Reserved./Backward/General)
- 4. Name of the society running this college
- 5. Address.....
- 6. Society's registration No.....(District)
- 7. No. of members in Management committee No. of women members

Information about the College:

- 8. Address of College- Plot No. Street/Road
- 9. Name of Village or Ward No (urban Area)
- 10. Name of City Tehsil.....Sub-division
- 11. Location area (Urban/Rural)DISTRICT PIN Code
- 12. Contact details: STD Code Landline Mobile
- 13. Area type(Pachayat Samiti/ Municipality/ Municipal Council) Name
- 14. Name of Assembly Constituency Name of Parliamentary Constituency.....
- 15. Total geographical areas of the college (in sq. meters) is it in one chunk(Y/N)
If not, area of each chunk (i)(ii)(iii).....(in sqm)
- 16. Ownership status of land(own/on lease/ donated)
- 17. State government's NOC No/s.
(a) (Dated).....
(b)..... (Dated).....
(c)..... (Dated).....
- 18. Details of affiliation by University : (i) Name of Univ(ii) Affiliation letter no/s.:-
(a) (Dated).....
(b) (Dated).....
(c) (Dated).....

19. Total constructed area(in sq. meters)(in sq. ft.)

20. Infrastructure details (already constructed and existing infrastructure):

S. No.	Facility	Dimensions in feet	Area of room in sq.ft.	No. of rooms/Labs / etc	Total area in sq. ft. (=col. 4x5)	Total area in sq. meters (=col. 6 x 0.093)
1	2	3	4	5	6	7
1	Class rooms	x				
		x				
	Laboratories	x				
		x				
	Library Stack room	x				
	Library (rest of the area)	x				
	Administrative area+	x				
	Staff room/s	x				
		x				
	Hostel Rooms	x				
	Parking	x				
	Toilet - Gents	x				
	Toilet- Ladies	x				
	Other	x				
	Total					

+ Administrative area: Principal's and VP's room, office, store etc. * Student facilities: Common Room

21. Information about Courses (UG level)

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				First Year	All classes	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. B.Sc. Bio, B.Sc. Biotech, B.Sc. Phy, Chem, Math should be mentioned separately and not merely as B.Sc)

22. Information about PG level courses

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				Previous	Prev. & Final	
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. M.A.. Pol. Sc., M.A. Sociol, etc. should be treated separately)

23. Name of Principal (i)

(ii) Educ. Qual-PG Degree year of (iii) post graduation(iv) PhD

(ii) Phone (vi) Mobile (vii) e-mail.....

11. आवेदन पत्र

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र

**अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म
(केवल पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)**

11.1 भाग - 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/विषय/संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति (सिलेबस संलग्न नहीं करें)
4. भवन का मानचित्र (वर्तमान भवन मानचित्र पीडब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ अथवा महाविद्यालय यदि किराये के भवन में संचालित है तो 3-5 वर्ष की संस्था के नाम पंजीकृत लीज डीड की प्रति।
6. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा)यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता।
7. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण।
8. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र।
9. संस्था के महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति।
10. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकाय/कक्षा/विषयवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।
11. गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करे।

नोट :- सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें।

11.2 भाग - 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

- I** महाविद्यालय का प्रकार सामान्य / विधि
II महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला
III क्या महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है— हां / नहीं
IV आवेदन शुल्क राशि रू०.....डी.डी. क्रमांक दि० बैंक.....
 (डी.डी. के पीछे समिति / महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)
V एफ.डी.आर. राशि रू० क्रमांक दि० बैंक.....
VI महाविद्यालय स्थापना वर्ष

- महाविद्यालय का नाम एवं
 पूर्ण पता
पिन कोड
- दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड
 फैक्स नं.
 मोबाइल
 ई-मेल पता
- प्राचार्य का नाम व पता
- प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
- समिति / ट्रस्ट का नाम व पता मय
 पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
- पंजीकृत विधान की प्रति
- पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति.....
 के सदस्यों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर, व्यवसाय
- वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि

11.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण– (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि–

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क़य 3. दान से

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट
3. पदाधिकारी 4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)

(ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :- कक्षों की संख्या व आकार लिखें :-

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

11.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

- सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम
- संस्था को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पत्रों का क्रमांक एवं दि० (फोटो प्रति संलग्न करें)
- संचालित संकाय
- संचालित विषय (ऐच्छिक विषयों सहित)

4.1 नवीन प्रस्तावित विषय

.....

5. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/सकाय
 उपलब्ध होने बावत् शपथ पत्र की प्रति

6. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये/किये
 जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

7. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण । प्रत्येक शिक्षक की अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

8. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण । कर्मचारी की शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

9. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं
 विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रों की संख्या
 (सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)
10. गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न करें
 (सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

14.6 भाग – 'र'

घोषणा पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....

अध्यक्ष/सचिव.....एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषणरहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
- 9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

COLLEGE INFORMATION SHEET

(It is mandatory for all colleges to fill this information. Strike out or leave blank columns that are not applicable to your college. Colleges may get the format retyped in same order and sequence for submitting the information)

- 1. Name of the College
- 2. College type (a) General/Law (b)(girls/Co-Ed)
- 3. Yr. of Estt. Type of area(Reserved./Backward/General)
- 4. Name of the society running this college
- 5. Address.....
- 6. Society's registration No.....(District)
- 7. No. of members in Management committee No. of women members

Information about the College:

- 8. Address of College- Plot No. Street/Road
- 9. Name of Village or Ward No (urban Area)
- 10. Name of City Tehsil.....Sub-division
- 11. Location area (Urban/Rural)DISTRICT PIN Code
- 12. Contact details: STD Code Landline Mobile
- 13. Area type(Pachayat Samiti/ Municipality/ Municipal Council) Name
- 14. Name of Assembly Constituency Name of Parliamentary Constituency.....
- 15. Total geographical areas of the college (in sq. meters) is it in one chunk(Y/N)
If not, area of each chunk (i)(ii)(iii).....(in sqm)
- 16. Nature of land holding(own/on lease/ donated)
- 17. State government's NOC No/s.
(a) (Dated)
(b)..... (Dated)
(c)..... (Dated)
- 18. Details of affiliation by University : (i) Name of Univ(ii) Affiliation letter no/s.:-
(a) (Dated)
(b) (Dated)
(c) (Dated)

19. Total constructed area(in sq. meters)(in sq. ft.)

20. Infrastructure details (already constructed and existing infrastructure):

S. No.	Facility	Dimensions in feet	Area of room in sq.ft.	No. of rooms/Labs / etc	Total area in sq. ft. (=col. 4x5)	Total area in sq. meters (=col. 6 x 0.093)
1	2	3	4	5	6	7
1	Class rooms	x				
		x				
	Laboratories	x				
		x				
	Library Stack room	x				
	Library (rest of the area)	x				
	Administrative area+	x				
	Staff room/s	x				
		x				
	Hostel Rooms	x				
	Parking	x				
	Toilet - Gents	x				
	Toilet- Ladies	x				
	Other	x				
	Total					

+ Administrative area: Principal's and VP's room, office, store etc. * Student facilities: Common Room

21. Information about Courses (UG level)

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				First Year	All classes	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. B.Sc. Bio, B.Sc. Biotech, B.Sc. Phy, Chem, Math should be mentioned separately and not merely as B.Sc)

22. Information about PG level courses

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				Previous	Prev. & Final	
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. M.A.. Pol. Sc., M.A. Sociol, etc. should be treated separately)

23. Name of Principal (i)

(ii) Educ. Qual-PG Degree year of (iii) post graduation(iv) PhD

(iii) Phone (vi) Mobile (vii) e-mail.....

12. आवेदन पत्र

स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आवेदित सत्र

स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन फार्म
(केवल तीन सत्र पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए)

12.1 भाग - 'अ' (चेक लिस्ट)

1. समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति।
2. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/विषय/संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति (सिलेबस संलग्न नहीं करें)
4. भवन का मानचित्र (वर्तमान भवन मानचित्र पीडब्लूडी/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित) एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर के छाया चित्र।
5. महाविद्यालय के स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ अथवा महाविद्यालय यदि किराये के भवन में संचालित है तो 3-5 वर्ष की संस्था के नाम पंजीकृत लीज डीड की प्रति।
6. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा)यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्थान, राजस्थान पुल निर्माण अथवा पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता।
7. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण।
8. यू.जी.सी. योग्यताधारी स्थाई स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन का पत्र।
9. स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र।
10. समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती का प्रमाण पत्र।
11. समुचित छात्र सुविधाओं के विकास का संस्था प्रधान द्वारा दिया गया शपथ पत्र।
12. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र।
13. संस्था के महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक (अनुदान) के संयुक्त खाते में स्थाई निधि में 5 वर्ष के लिए जमा राशि के एफ.डी.आर. की प्रति।
14. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकाय/कक्षा/विषयवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण (टी0 आर0 संलग्न नहीं करें)।
15. गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का विवरण। सारणी में प्रस्तुत करें।

नोट :- सम्पूर्ण नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1993" देखें।

12.2 भाग – 'ब'

महाविद्यालय संबंधी सामान्य विवरण (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

- I** महाविद्यालय का प्रकार सामान्य / विधि
II महाविद्यालय की श्रेणी सहशिक्षा / महिला
III क्या महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में आता है— हां / नहीं
IV आवेदन शुल्क राशि रू०.....डी.डी. क्रमांक दि० बैंक.....
 (डी.डी. के पीछे समिति / महाविद्यालय का नाम व स्थान अवश्य अंकित करें)
V एफ.डी.आर. राशि रू० क्रमांक दि० बैंक.....
VI महाविद्यालय स्थापना वर्ष

1. महाविद्यालय का नाम एवं
 पूर्ण पता
पिन कोड
- दूरभाष नं. मय एसटीडी कोड
- फैक्स नं.
- मोबाइल
- ई-मेल पता
2. प्राचार्य का नाम व पता
3. प्रबन्ध समिति के सचिव का नाम व पता
4. समिति / ट्रस्ट का नाम व पता मय
- पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक
5. पंजीकृत विधान की प्रति
6. पंजीयक द्वारा अनुमोदित वर्तमान प्रबन्ध समिति.....
 के सदस्यों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर, व्यवसाय
7. वर्तमान प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि

12.3 भाग – 'स'

आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी विवरण— (कृपया सम्बन्धित को मार्क करें)

1. भूमि—

1. सरकार से आवंटित 2. निजी व्यक्ति से क़य 3. दान से

(अ) भूमि का स्वामित्व किसके नाम है (दस्तावेज संलग्न करें)

1. महाविद्यालय 2. समिति / ट्रस्ट
3. पदाधिकारी 4. अन्य (स्पष्ट नाम लिखें)

(ब) भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(स) महाविद्यालय के उपयोगार्थ उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न करें)

2. भवन :- कक्षों की संख्या व आकार लिखें :-

प्रशासनिक

	प्राचार्य कक्ष	उपाचार्य कक्ष	स्टाफ रूम	कार्यालय कक्ष	भंडार कक्ष	क्रीडा कक्ष
मापवर्गफुटमें						
कमरा नं.						

अकादमिक

कक्षा कक्षों की कुल संख्या ...	प्रयोगशाला की कुल संख्या.....	पुस्तकालय	वाचनालय
मापवर्गफुटमें			
कमरा न			

छात्र सुविधाएं

कामन रूम	साईकिल स्टेण्ड	जल भंडारण	पुरुष टायलेट्स	महिला टायलेट्स

12.4 भाग – 'द'

अकादमिक सूचनाओं का विवरण

- सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नाम
- संस्था को पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पत्रों का क्रमांक एवं दि० (फोटो प्रति संलग्न करें)
- संचालित संकाय
- संचालित विषय (ऐच्छिक विषयों सहित)

4.1 नवीन प्रस्तावित विषय

.....

5. सम्बद्धक विश्वविद्यालय में चाहे विषय/सकाय
 उपलब्ध होने बावत् शपथ पत्र की प्रति

6. महाविद्यालय हेतु नियुक्त किये गये/किये
 जाने वाले स्टाफ का विवरण –

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	
2	व्याख्याता	
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	
4	पी.टी.आई.	
5	कार्यालय स्टाफ	
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
7	अन्य	

7. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण । प्रत्येक शिक्षक की अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

8. महाविद्यालय में उपलब्ध अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण । कर्मचारी की शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

क्र. सं.	नाम	पद	स्थायी/अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतनमान	मूल वेतन	मासिक वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि अंशदान

9. गत तीन वर्षों में महाविद्यालय में संकायवार, कक्षावार एवं
 विषयवार नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत छात्रों की संख्या
 (सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)
10. गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम संलग्न करें
 (सारणी प्रस्तुत करें, टीआर संलग्न नहीं करें)

12.6 भाग – 'र'

घोषणा पत्र

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....

अध्यक्ष/सचिव.....एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि—

- 1 महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमों व नीतियों के अनुसार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार-प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
5. महाविद्यालय का संचालन हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।
6. संस्था द्वारा तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन-देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय-व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर आडिट कराया जायेगा।
8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।
- 9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर मय दिनांक
(अध्यक्ष/सचिव प्रबंध समिति)

COLLEGE INFORMATION SHEET

(It is mandatory for all colleges to fill this information. Strike out or leave blank columns that are not applicable to your college. Colleges may get the format retyped in same order and sequence for submitting the information)

- 1. Name of the College
- 2. College type (a) General/Law (b)(girls/Co-Ed)
- 3. Yr. of Estt. Type of area(Reserved./Backward/General)
- 4. Name of the society running this college
- 5. Address.....
- 6. Society's registration No.....(District)
- 7. No. of members in Management committee No. of women members

Information about the College:

- 8. Address of College- Plot No. Street/Road
- 9. Name of Village or Ward No (urban Area)
- 10. Name of City Tehsil.....Sub-division
- 11. Location area (Urban/Rural)DISTRICT PIN Code
- 12. Contact details: STD Code Landline Mobile
- 13. Area type(Pachayat Samiti/ Municipality/ Municipal Council) Name
- 14. Name of Assembly Constituency Name of Parliamentary Constituency.....
- 15. Total geographical areas of the college (in sq. meters) is it in one chunk(Y/N)
If not, area of each chunk (i)(ii)(iii).....(in sqm)
- 16. Nature of land holding(own/on lease/ donated)
- 17. State government's NOC No/s.
(a) (Dated)
(b)..... (Dated)
(c)..... (Dated)
- 18. Details of affiliation by University : (i) Name of Univ(ii) Affiliation letter no/s.:-
(a) (Dated)
(b) (Dated)
(c) (Dated)

19. Total constructed area(in sq. meters)(in sq. ft.)

20. Infrastructure details (already constructed and existing infrastructure):

S. No.	Facility	Dimensions in feet	Area of room in sq.ft.	No. of rooms/Labs / etc	Total area in sq. ft. (=col. 4x5)	Total area in sq. meters (=col. 6 x 0.093)
1	2	3	4	5	6	7
1	Class rooms	x				
		x				
	Laboratories	x				
		x				
	Library Stack room	x				
	Library (rest of the area)	x				
	Administrative area+	x				
	Staff room/s	x				
		x				
	Hostel Rooms	x				
	Parking	x				
	Toilet - Gents	x				
	Toilet- Ladies	x				
	Other	x				
	Total					

+ Administrative area: Principal's and VP's room, office, store etc. * Student facilities: Common Room

21. Information about Courses (UG level)

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				First Year	All classes	
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. B.Sc. Bio, B.Sc. Biotech, B.Sc. Phy, Chem, Math should be mentioned separately and not merely as B.Sc)

22. Information about PG level courses

S No	Name of Course+	Year of starting this course	No. of seats in First year	Actually admitted in session 2010-11		Annual fee per student
				Previous	Prev. & Final	
	TOTAL					

+ Mention each course separately (e.g. M.A.. Pol. Sc., M.A. Sociol, etc. should be treated separately)

23. Name of Principal (i)

(ii) Educ. Qual-PG Degree year of (iii) post graduation(iv) PhD

(iv) Phone (vi) Mobile (vii) e-mail.....

परिशिष्ट-I

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें (सामान्य एवं विधि)

1. पंजीयन

महाविद्यालय का राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीयन होना आवश्यक हैं ।

2. भवन

कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार	कला
संकाय —	7	(20'×30')	
वाणिज्य संकाय —	4	(20'×30')	
विज्ञान संकाय —	6	(20'×30')	
कृषि संकाय —	(संलग्न मानदण्डानुसार)		
प्रयोगशाला विषयवार—	1	(20'×30')	
विधि संकाय (मूट कोर्ट सहित)—	6	(20'×30')	
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1 प्रतिविषय	(20'×30')	
प्रशासनिक भवन :-			
अ. कार्यालय कक्ष —	2	(15'×20)	
ब. भण्डार कक्ष —	1	(20'×30')	
स. प्राचार्य कक्ष —	1	(12×12)	
द. उपाचार्य कक्ष —	1	(12×12)	
(छात्र संख्या 300 से अधिक होने पर)			
प्राध्यापक कक्ष —	1	(20×30)	
एन.सी.सी.	1	(12×12)	
एन.एस.एस.	1	(12×12)	
खेलकूद	1	(20×30)	
पुस्तकालय भवन	2	(20×30)	

नोट :- उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ शौचालय उपयुक्त आकार के होना आवश्यक है।

3. भूमि

क्र.सं.	स्थान	सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए	महिला महाविद्यालय के लिए
अ	संभागीय मुख्यालय पर	2000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर
ब	जिला मुख्यालय स्तर पर	4000 वर्ग मीटर	3000 वर्ग मीटर
स	अन्य स्थानों पर	5000 वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर

नोट— संभाग मुख्यालय की भूमि सम्बन्धी छूट के लिये संस्था का नगरीय सीमा अर्थात् नगर निगम या परिषद के क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है।

4. **स्टाफ**
1. प्राचार्य – 1
 2. 300 से अधिक विद्यार्थियों पर उपाचार्य –1
 3. विषयवार प्राध्यापक –1
 4. पुस्तकालयाध्यक्ष – 1
 5. पी.टी.आई. – 1
 6. कनिष्ठ लेखाकार – 1
 7. वरिष्ठ लिपिक – 1
 8. कनिष्ठ लिपिक – 1
 9. बुक लिफ्टर – 1
 10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 7

5. **फर्नीचर**

कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर विद्यार्थियों के लिये प्रर्याप्त मेज कुर्सी प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन उपकरण

6. **छात्रावास**

आवश्यकतानुसार छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-2 छात्रावास की वैकल्पिक व्यवस्था।

7. **प्रबन्ध समिति**

15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति में 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। समिति नवीनतम हो तथा पंजीयक से अनुमोदित होनी चाहिये।

8. **विद्यार्थी सुविधायें**

केन्टीन

कामन रूम मय शौचालय

आंतरिक क्रीडा कक्ष मय शौचालय

साईकिल/स्कूटर/कार स्टेण्ड मय शौचालय

10. **वेतन भत्ते**

प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यू.जी.सी द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को देय समस्त भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

परिशिष्ट-II

तीन वर्षों में महाविद्यालय भवन के न्यूनतम निर्माण की वर्षवार अनिवार्यतायें

चूंकि उपरोक्त मानदण्ड तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये है। अतः तीन वर्ष की अवधि इसका पूरा होना आवश्यक है। अतः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में भवन सम्बन्धी मानदण्डों को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है।

1 प्रथम वर्ष के लिए (संकाय वार)

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	3	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	2	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	3	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'
5	कृषि संकाय	(संलग्न मानदण्डानुसार)	
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	1	20'x30'
4	वनस्पति विज्ञान	1	20'x30'
5	कृषि संकाय	(संलग्न मानदण्डानुसार)	
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'

प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भण्डार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, बैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष, संग्रहालय एवं पर्याप्त वनस्पति उद्यान एवं जन्तु उद्यान की व्यवस्था हो।

प्रशासनिक भवन

1.	कार्यालय कक्ष	2	15'x20'
2	स्टाफ रूम मय शौचालय	1	20'x30'
3	भण्डार कक्ष	1	20'x30'
4	प्राचार्य कक्ष मय शौचालय	1	12'x12'
5	उपाचार्य कक्ष मय शौचालय	1	12'x12'
(300 से अधिक विद्यार्थी संख्या होने पर)			
6	पुस्तकालय भवन मय शौचालय	2	20'x30'

2 द्वितीय वर्ष के लिए -

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है:

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान संकाय	2	20'x30'
4	विधि संकाय	2	20'x30'

5	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2	20'x30'
6	एन.सी.सी.	1	12'x12'
7	एन.एस.एस.	1	12'x12'
8	खेलकूद	1	20'x30'
विज्ञान संकाय प्रयोगशाला			
1	रसायन विज्ञान	1	20'x30'
2	भौतिक विज्ञान	1	20'x30'
3	प्राणी विज्ञान	—	—
4	वनस्पति विज्ञान	—	—

3

तृतीय वर्ष के लिए—

क्र.सं.	कक्षा	कक्ष	कक्षों की संख्या	आकार
1	कला	संकाय	2	20'x30'
2	वाणिज्य	संकाय	1	20'x30'
3	विज्ञान	संकाय	1	20'x30'
4	विधि	संकाय	2	20'x30'
5	मूट	कोर्ट	1	20'x30'
6	व्यावसायिक	पाठ्यक्रम	2	20'x30'

परिशिष्ट-III
पिछडे क्षेत्रों की सूची

उपखण्ड मुख्यालयों की सूची जो उच्च शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से अल्पविकसित है।

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड
1	अलवर	1. कोटकासिम
2	बारां	1. मांगरोल
3		2. किशनगंज
4	बाडमेर	1. शिव
5	भीलवाडा	1. बनेडा
6	बून्दी	1. हिण्डोली
7	चित्तौड़गढ़	1. गंगरार
8	जैसलमेर	1. फतेहगढ़
9	झालावाड	1. पिडावा
10	जोधपुर	1. शेरगढ़
11	कोटा	1. दीगोद

तहसील क्षेत्रों की सूची जहाँ एक भी महाविद्यालय स्थित नहीं है

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड	तहसील क्षेत्र
1	बारां	मांगरोल	मंगरोल
2		किशनगंज	किशनगंज
3	बाडमेर	बाडमेर	बायतू
4			रामसर
5		शिव	शिव
6		गुढामलाणी	चौहटन
7	भीलवाडा	बनेडा	बनेडा
8		जहाजपुर	कोटडी
9	बीकानेर	खाजूवाला	पूंगल
10			छत्रगढ़
11	बून्दी	हिण्डोली	हिण्डोली
12	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	अरनोद
13	चित्तौड़गढ़	गंगरार	गंगरार
14	जैसलमेर	फतेहगढ़	फतेहगढ़
15	जालौर	जालौर	सयाला
16		भीनमाल	बागोडा
17	झालावाड	पिडावा	पिडावा
18		अकलेरा	मनोहर थाना
19	जोधपुर	ओसिया	ओसिया
20		शेरगढ़	शेरगढ़
21	कोटा	दीगोद	दीगोद
22	पली	पाली	रोहत
23		जैतारण	रायपुर
24	सवाईमाधोपुर	बोली	मलारना डूंगर

नोट :-आवेदक संस्था को तहसील कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान उपरोक्त सूची में वर्णित तहसील क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट-IV
आरक्षित क्षेत्रों की सूची
राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजमेर	दूदू अजमेर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		कटूमर
4	बाडमेर	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाडा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	बून्दी	केशोरायपाटन
10	चित्तौड़गढ़	कपासन
11	चुरू	सुजानगढ़
12	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़
13		रायसिंहनगर
14	जयपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड	डग
19	झुझुनू	पिलानी
20	जोधपुर	भोपालगढ़
21		बिलाडा
22	कोटा	रामगंजमण्डी
23	नागौर	जायल
24		मेडता
25	पाली	सोजत
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोही	रेवदर
29	टोंक	निवाई
30	बांरां	बांरां-अटरू
31	दौसा	सिकराय
32	करौली	हिण्डौन
33	धौलपुर	बसेडी
34	हनुमानगढ़	पीलीबंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ-लक्ष्मणगढ
2	बांसवाडा	कुशलगढ
3		गढी
4		घाटोल
5		बागीडोरा
6		बांसवाडा
7	डूंगरपुर	सागवाडा
8		चेरासी
9		डूंगरपुर
10		आसपुर
11	सवाई माधोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाडा आबू
13	उदयपुर	झाडोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		सलुम्बर
16		खेरवाडा
17		गोगून्दा
18		धारियावाद
19	बरां	किशनगंज
20	दौसा	लालसोट
21	करौली	सपोटरा
22		टोडाभीम
23	जयपुर	जमवारामगढ
24		बस्सी
25	चित्तौड़गढ	प्रतापगढ

नोट :-आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र में आता है ।